प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 11.04.2024

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सोतेले पिता तथा अपराध में सहयोग करने वाली सगी माँ को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 09.04.2024 को दिल्ली पुलिस के थाना सनलाइट कॉलोनी से जीरो एफआईआर घटनास्थल थाना लोनी बॉर्डर का होने के कारण ट्रान्सफर होकर थाना लोनी बॉर्डर पर प्राप्त हुई जिसके अनुसार पीडिता / वादिया ने जीरो एफआईआर में दिल्ली पुलिस को ब्यान किया कि उसके साथ उसके सोतेले पिता तथा चाचा ने दुष्कर्म किया है यह सब जब पीडिता ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने बोला कि कल दवाई दिलवा दूँगी और सोतेले पिता और माँ छोड़कर चले गए तब फिर एक दिन पीडिता / वादिया मुकदमा को घुमाने के बहाने बस में बैठाकर उसके चाचा - चाची ने दिल्ली में कही छोड़ दिया और वहां से भाग गए | पीडिता ने पास ही के दिल्ली पुलिस बूथ पर उसके साथ घटित घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी | जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीडिता / वादिया द्वारा बताये गए घटनाक्रम के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पीडिता का मेडिकल कराया तथा पीडिता को प्रयास केंद्र लाजपत नगर दिल्ली में दाखिल किया गया |

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए पीडिता / वादिया को सीडब्लूसी दिल्ली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार पीडिता / वादिया को प्रयास केंद्र दिल्ली से लाकर कई चरणों में पूछताछ के क्रम में सर्वप्रथम घटना स्थल तस्दीक किया गया तथा ब्यान दर्ज कराए गए जिसमे पीडिता / वादिया ने अवगत कराया कि उसके पिता की मृत्यु के उपरांत पीडिता की माँ , पीडिता तथा उसके भाई पिता के शव को लेकर पैतृक गाँव गए | अंतिम संस्कार के उपरांत कुछ दिन ससुराल के गाँव में रहकर पीडिता की माँ ,पीडिता तथा उसके 02 भाइयो को लेकर वापस प्रताप नगर आई तथा भाई को दिल्ली से प्रताप नगर के रास्ते में चाय की दुकान पर छोड़ दिया | तथा उसकी माँ ने राजू नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली तथा राजू पैसे कमाने के लिए पीडिता की माँ से वैश्यावृति कराने लगा | तथा पीडिता तथा उसके भाई से सौतेला व्यवहार करने लगा तथा पीडिता / वादिया से दुष्कर्म करने लगा तथा मौका पाकर पीडिता के नाबालिग भाई के साथ कुकर्म करने लगा यह सब बाते जब माँ को बताते तो वह उनको डराती धमकाती तथा कहती कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगी |

अभियुक्त सोतेले पिता तथा माँ की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में टीम गठित की गयी | जिसके क्रम में आज दिनांक 11.04.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा समय करीब 11.15 बजे अभियुक्त राजू पुत्र ब्रहम सिंह निवासी अनूपशहर थाना अनूप शहर बुलंदशहर हाल पता – म०न० बी - 420 गली न० 10 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद .तथा अभियुक्ता पीडिता की माँ को कृष्णा विहार चौक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्त राजू ने बताया कि वह राधा विहार में रहता है पहले अभियुक्ता (पीडिता की माँ) राधा विहार में ही किराये पर अपने पहले पति के साथ रहती थी | जो अक्सर बीमार रहता था उसी दौरान यह (अभियुक्ता) मेरे संपर्क में आई जो अपने खर्चे पूरे करने के लिए मुझसे अक्सर पैसे मांगती थी | इसके पति की मृत्यु के उपरांत मैंने इससे शादी कर ली तथा अलग मोहल्ले में किराये पर मकान लेकर दिया जहाँ यह अपने बच्चो के साथ रहने लगी और पैसे कमाने के लालच में मैं इससे वैश्यावृत्ति कराने लगा | और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला की मैंने कई बार इसके बच्चो के साथ भी गलत काम किया है |

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. राजू पुत्र ब्रहम सिंह निवासी अनूपशहर थाना अनूप शहर बुलंदशहर हाल पता –म०न० बी -420 गली न० 10 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
2. अभियुक्ता (पीडिता की माँ)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर दुष्कर्म ,कुकर्म व पोक्सो अधि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर गा0बाद पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 90 पव्वे देशी शराब मिस इण्डिया उत्तर प्रदेश बरामद

दिनांक 10.04.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त नाजीम अली को 90 पव्वे देशी शराब मिस इण्डिया उत्तर प्रदेश मार्का के साथ कुष्ठ आश्रम के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

नाजीम अली पुत्र यासीन निवासी कैला खेडा म0न0- 198 सादिक की पुलिया के आगे चौकी गौशाला थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै यह शराब ठेके से लाकर महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता हूँ, जिसे मैं अपनी मोज मस्ती में खर्च कर देता हूँ।

बरामदगी का विवरण-

90 पव्वे देशी शराब मिस इण्डिया उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से एल्ट्रासाउंड से भ्रूण परीक्षण करने वाले , गैंगस्टर अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 11-04-24 को थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन / व्यक्ति की चेंकिग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त राजकुमार पुत्र राजेश को गिरफ्तार किया गया, व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो का एक गैंग है, हम लोग मेडीकल लाईन से जुडे हुए है , और मोटा पैसा कमाने के लालच में पूर्व में हम लोगो ने अवैध रुप से एल्ट्रासाउंड से भ्रूण परीक्षण कर, भोले भाले लोगो को अपने जाल में फंसाकर अच्छा पैसा कमाते थे।

अभियुक्त का नाम व पता-

राजकुमार पुत्र राजेश निवासी रेलवे रोड कुचेसर चौपला थाना बाबूगढ जनपद हापुड उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 गैगस्टर एक्ट , थाना कविनगर पर 01 प्री-नेटल डाइग्नॉस्टीक टेक्नीक्स एक्ट का, कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा बिजली के तार चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 11.04.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बिजली के तार चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र रामलाल निवासी कमला हाल के पीछे वाली गली मौहल्ला शान्तिनगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि हम लोग काफी दिनों से गाजियाबाद में मोदीनगर, भोजपुर, निवाड़ी आदि क्षेत्रों के जंगलों से बिजली के तार चोरी करते थे, जिसमें पूर्व में योगेश पुत्र देवेन्द्र उर्फ विशम्बर निवासी ग्राम कैलायन थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर हाल पत्ता म0न 68 गली न0 6 कमला हाल के पीछे वाली गली मोहल्ला शान्तिनगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को मय चोरी के 28 किलोग्राम बिजली का एल्युमीनियम तार सहित गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

अरुण पुत्र रामलाल निवासी कमला हाल के पीछे वाली गली मोहल्ला शान्तिनगर थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का टी वी एस जुपिटर स्कूटर बरामद ।

दिनांक 11-04-24 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हिंडन विहार कट से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से चोरी का 01 टी वी एस जुपिटर स्कूटर मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुआ है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता--

रंजीत उर्फ भोला पुत्र नारायण,नि0- एफ 507, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह स्कूटी मैने दो दिन पहले राजनगर के रहीसपुर क्षेत्र से चोरी की थी पुलिस से बचने के लिये इसका नम्बर बदलकर चला रहा था।

आपराधिक इतिहास --

अभि0 रंजीत उर्फ भोला के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 03 चोरी के अभियोग व 01 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग, व थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट, कमि0 गाजियाबाद पर कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण--

चोरी का 01 टी वी एस जुपिटर स्कूटर मय फर्जी रजि0 नम्बर प्लेट।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।